भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1234
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी

1234. श्री बदरुद्दीन अजमल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गायब हुई कंपनियों के धोखाधड़ी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा ठगे गए निवेशकों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इसमें कुल कितनी धनराशि शामिल है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसी धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए कोई दिशानिर्देश बनाया है/बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस संबंध में सरकार का कंपनी नियम में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस संबंध में सरकार को पेशेवरों, वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग क्षेत्र, सी.आई.आई. आदि से सुझाव प्राप्त हुए हैं/उनके सुझाव मांगे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने ऐसे कारपोरेट धोखाधड़ी के मामले की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है/करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और
(च) ऐसे कारपोरेट धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : 238 कंपनियों की पहचान 'लुप्त कंपनियों' के रूप में की गई थी। इन कंपनियों ने पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनराशि जुटाई और संबंधित नियामकों को वित्तीय विवरणियां तथा वार्षिक रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया। इनमें से 128 कंपनियों को इस श्रेणी से हटाकर 'निगरानी सूची' में रखा गया क्योंकि इन

....2/-

कंपनियों ने अपनी वित्तीय विवरणियां और वार्षिक रिटर्न फाइल करने शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त, फिलहाल 32 कंपनियां समापनाधीन हैं। अब तक 78 कंपनियां ऐसी हैं जो 'लुप्त कंपनियों' की श्रेणी में बनी हुई हैं। इन 78 कंपनियों द्वारा जारी किए गए पब्लिक इश्यू की कुल राशि लगभग 310.21 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 में निवेशकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान है। व्यावसायिकों वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग क्षेत्र, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) आदि सहित सभी पक्षकारों के विचार आमंत्रित किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन से पूर्व इन पर विचार किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशकों की सुरक्षा के प्रावधानों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) बढ़े हुए प्रकटीकरण मानक ताकि निवेशकों को कंपनियों से सभी संबद्ध सूचना मिल सके;

(ii) "धोखाधड़ी" को पहली बार बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया और इसमें बहुत से संदेहास्पद क्रियाकलापों, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अलग से कवर नहीं होते, को शामिल किया गया;

(iii) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को पर्याप्त शक्तियों के साथ सांविधिक दर्जा दिया गया है;

(iv) परिसंपत्तियों को संलग्न और वापस करने के प्रावधान;

(v) प्रावधानों, जिनमें अन्यों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों का रोटेशन आदि प्रावधान शामिल हैं, के माध्यम से लेखापरीक्षकों की जवाबदेयता तथा स्वतंत्रता बढ़ाई गई। इससे लेखापरीक्षा में निष्पक्षता आएगी और निवेशकों को बेहतर जानकारी मिलेगी।

(ङ.) : गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (एमआरएयू) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा ऐसे कारपोरेटों की बाजार निगरानी करना है। एमआरएयू की कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर एसएफआईओ में समुचित प्रौद्योगिकी तथा दक्ष तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

(च) : मंत्रालय द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के तत्वाधान में विभिन्न नगरों में तीन व्यावसायिक संस्थानों - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखांकन संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम निवेशकों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए चलाए जाते हैं। वर्ष 2012-13 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लि. के माध्यम से ग्रामीण

क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने शुरू किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान आईईपीएफ के अंतर्गत ऐसे 2897 कार्यक्रम चलाए गए।

*****